

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल
क्रमांक 11622-42 / एम.सी / अराज / 5 / 2021

भोपाल, दिनांक 23/04/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2-20/2020/1/55/ दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 546/स्था/अराज/2020 दिनांक 01-06-2020 के अनुसार परिचारिका संवर्ग स्टाफ नर्स की अनुसूची के आधार पर, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ नर्सों के पदों को भरे जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1549/स्था/5/2021 दिनांक 01.04.2021 के तहत प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी उपरांत एवं दिनांक 20.04.2021 को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत संविदा से चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबद्ध चिकित्सालयों में निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्रं.	नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थान
अन्य पिछड़ा वर्ग (निशक्तजन)			
1	शेलजा सिंह पिता/पति श्री प्रभाकर सिंह पता-9, डॉक्टर कॉलोनी, उमरिया, वार्ड नं. 14, उमरिया-484661	अन्य पिछड़ा वर्ग	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
अनुसूचित जन जाति			
1	मिथलेश्वरी धुर्वे पिता/पति श्री पंचम सिंह धुर्वे पता-111, भगत सिंह मार्ग, मीरा बावडी देवास (म0प्र0)-455001	अनुसूचित जन जाति	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
2	सुषमा परस्ते पिता/पति श्री पी.एस.परस्ते पता-डी-18, एम.पी.पी.जी.सी.ई.एल. कॉलोनी, बीरसिंहपुर जिला-उमरिया (म0प्र0)-484552	अनुसूचित जन जाति	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
3	रेखा पिता/पति श्री सूबेलाल पता-ग्राम-अण्डिया पोस्ट-चाबी, जिला-मण्डला(म0प्र0)-481672	अनुसूचित जन जाति	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
4	नीलिमा उईके पिता/पति श्री दिनकर उईके पता-पोस्ट नाकुड तहसील-अडनेर जिला-बैतूल(म0प्र0)-460220	अनुसूचित जन जाति	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
5	दुर्गा उईके पिता/पति श्री इमरत लाल उईके पता-वार्ड न 1, शाहपुरा जिला-डिण्डौरी, (म0प्र0)-481990	अनुसूचित जन जाति	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
6	प्रियंका श्याम पिता/पति श्री गिरधर लाल श्याम पता-म.नं. 377, गणेश मंदिर के पीछे, वार्ड नं. 21, जिला-डिण्डौरी (म0प्र0)-481880	अनुसूचित जन जाति	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
आर्थिक रूप से कमजोर			
1	प्रियंका जैम्स पिता/पति श्री अभिषेक जैम्स पता-प्लॉट नं. 64, बीईडीजेड नगर, गुरुद्वारा मदन महल जबलपुर(म0प्र0)-482001	अन्य पिछड़ा वर्ग (EWS)	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल

नियुक्ति की शर्तः-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (परिचारिका संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी।
2. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
3. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
4. तीन माह पश्चात स्टाफ नर्स की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 8 (1)के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
5. चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल द्वारा कराई जावेगी यह नियुक्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 05 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
7. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
8. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
9. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-7-2 /96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
11. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
12. चयनित प्रत्याशी की सेवाएँ किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
13. चयनित प्रत्याशी- M0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. नियुक्ति व्यक्ति को 100/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को छः माह के अंदर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं आपको कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के छुट्टियों पर न जा सकेगा।

(3)

22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होंगे।
25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमे प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ.क्रमांक 11.622-42/एम.सी/अराज/5/21
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23/04/2021

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जांच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. आदेश मे उल्लेखित चयनित संबंधित उम्मीदवार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक/एम.सी/अराज/5/2021

भोपाल, दिनांक...../04/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2-20/2020/1/55/दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 546/स्था/अराज/2020 दिनांक 01-06-2020 के अनुसार परिचारिका संवर्ग स्टाफ नर्स की अनुसूची के आधार पर, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबंधित चिकित्सालयों में स्टाफ नर्सों के पदों को भरे जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1549/स्था/5/2021 दिनांक 01.04.2021 के तहत प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी उपरांत एवं दिनांक 20.04.2021 को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबंधित चिकित्सालय में निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्रं.	नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थान
अनारक्षित			
1	शिवांशी शुक्ला पिता/पति श्री सोम शंकर शुक्ला पता-वार्ड नं. 43, पी.डब्ल्यू.डी. वर्कशॉप के पास, कृष्णा नगर, चिरहुला कॉलोनी, रीवा (म0प्र0)-486001	अनारक्षित	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल

नियुक्ति की शर्तें:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (परिचारिका संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
- तीन माह पश्चात स्टाफ नर्स की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल द्वारा कराई जावेगी यह नियुक्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
- चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 05 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
- चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2/96/आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
- चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

12. चयनित प्रत्याशी की सेवाएँ किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
13. चयनित प्रत्याशी M0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
14. नियुक्ति व्यक्ति को 100/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
16. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को छः माह के अंदर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं आपको कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरान्त रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के छुट्टियों पर न जा सकेगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते हैं।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ.क्रमांक/एम.सी/अराज/5/21
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/04/2021

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जाँच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. आदेश में उल्लेखित चयनित संबंधित उम्मीदवार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल